परिपत्र

पत्रांक 4575/आयु0क0उत्तरा0/वाणि0कर/विधि–अनुभाग/2007–08/देहरादून।

कार्यालयः–आयुक्त कर उत्तराखण्ड,
(विधि–अनुभाग)
देहरादूनःःदिनांकःः 31 मार्च–2008

समस्त डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर
समस्त वाणिज्य कर अधिकारी, श्रेणी–2।

शासन द्वारा अधिसूचना संख्या–222/XXVII (8)/अ0स0वि0/ 2008 दिनांक–28–03–2008, जो रोड साइड ढाबा व्यवसाइयों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों /कार्यालयों में कर्मचारियों के लिये चलाई जाने वाली कैन्टीन जिनकी वार्षिक बिक्री 50लाख की सीमा के अन्तर्गत है को वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिये देयकर के स्थान पर 4 प्रतिशत एकमुश्त कर जमा कराकर मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 (2) में कम्पाउड़िग योजना का लाभ अनुमन्य किये जाने की घोषणा की है। उक्त अधिसूचना की छाया प्रति आपको इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि शासन के दिशा निर्देशानुसार आवश्यक कार्यवाही करना/करवाना सुनिश्चित करे।

(एल0एम0पन्त)
आयुक्त कर
उत्तराखण्ड देहरादून।

पृ0प0सं0 4574/दिनांक उक्तः–

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2– महालेखाकार, उत्तराखण्ड वैभव पैलेस इन्द्रा नगर देहरादून।
3– अध्यक्ष/सदस्य वाणिज्य कर अधिकरण देहरादून/हल्द्वानी।
4– एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर गढ़वाल जोन देहरादून/कुमाऊ जोन रूद्रपुर।
5– एडीशनल कमिश्नर (आडिट)/(प्रवर्तन) वाणिज्य कर मुख्यालय देहरादून।
6– समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर देहरादून/हरिद्वार /काशीपुर /हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र की अतिरिक्त प्रतियां कराकर अपने अधीनस्थ अधिकारियों/बार एसोसिऐशन के पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का कष्ट करें
7– ज्वाइंट कमिश्नर (अपील) वाणिज्य कर देहरादून/हल्द्वानी।
8– ज्वाइंट कमिश्नर (वि0अनु0शा0/प्र0) वाणिज्य कर हरिद्वार/रूद्रपुर।
9– वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि वे उक्त परिपत्र को वाणिज्य कर विभाग की वेवसाइट पर प्रसारित करने का कष्ट करें।

विज्ञान केन्द्र
डायरी न० 743 दिनांक 1–4–08

10– पोर्टल प्रबन्धक उत्तरा पोर्टल जी0ओ0यू0 परियोजना कार्यालय आई0आई0टी0 रूड़की।
11– श्री वी0के0 वर्मा, विशेष कार्यधिकारी को इस निर्देश के साथ कि उक्त परिपत्र स्कैन कर व्यापार प्रतिनिधियों/अधिवक्ताओं को ई–मेल द्वारा प्रेषित कर दे।
12– नेशनल लॉ हाउस बी–2 मॉर्डन प्लाजा बिल्डिग अम्बेडकर रोड़ गाजियाबाद।
13– नेशनल लॉ एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस–15/5 राजनगर गाजियागाद।
14– लॉ पब्लिकेशन व्यापार कर भवन, कलेक्ट्रेट कम्पाउण्ड़ राजनगर गाजियाबाद।
15– कार्यालय अधीक्षक की केन्द्रीय गार्ड फाइल हेतु।
16– विधि अनुभाग की गार्ड फाइल हेतु।

29/5/2007

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड़, देहरादून।

संख्या 222 / XXVII(8) / अ0स0वि0 / 2008

प्रेषक,

आलोक कुमार जैन,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

आयुक्त कर,
उत्तराखण्ड।

विभाग : वित्त (अनुभाग–8) दिनांकः देहरादूनः 28 मार्च, 2008

महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विधान सभा के बजट सत्र में 50 लाख की सीमा के अन्तर्गत वार्षिक बिक्री करने वाले रोड साइड ढाबा व्यवसाइयों एवं बड़े औद्योगिक प्रतिष्ठानों तथा कार्यालयों में कर्मचारियों के लिये चलाई जाने वाली कैन्टीन जिनकी वार्षिक बिक्री 50 लाख की सीमा के अन्तर्गत है को वित्तीय वर्ष 2008–09 के लिये देयकर के स्थान पर 4 प्रतिशत एकमुश्त कर जमा कराकर मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 (2) में कम्पाउड़िग योजना का लाभ अनुमन्य किये जाने की घोषणा की गयी थी। उक्त प्रकार के व्यवसायियों को योजना का लाभ अनुमन्य किये जाने सम्बन्धी शासन स्तर से जारी दिशा निर्देशों की प्रति आपको इस पत्र के साथ इस आशय से प्रेषित की जा रही है कि कृपया योजना के प्राविधानों का व्यापक प्रचार–प्रसार अपने स्तर से कराते हुए दिशा निर्देशों के अनुरूप निर्धारित समायावधि में आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक– दिशा निर्देश।

भवदीय,
(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव वित्त।

अनुभाग
आवश्यक कार्यवाही करें
अपर आयुक्त कर
उत्तराखण्ड देहरादून

9649
28/3/08

vividh-official letters/Letter/dt

रोड साइड ढाबा व्यवसाइयों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कार्यालया में कर्मचारियों के लिये चलाई जाने वाली कैन्टीन जिनकी वार्षिक बिक्री 50 लाख की सीमा के अन्तर्गत है को मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 7 (2) के अन्तर्गत देय कर के स्थान पर एकमुश्त समाधान राशि स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में शासन के दिशा निर्देश–

1– यह योजना स्वैच्छिक है और योजना का लाभ अपनाने वाले करदाताओं द्वारा शर्त पूर्ण करने पर ही योजना अनुमन्य होगी।

2– उक्त योजना दिनांक 01–04–2008से दिनांक 31–03–2009 की अवधि के लिये लागू होगी।

3– इस योजना का लाभ केवल ऐसे रोड साइड ढाबा व्यवसाइयों/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में कर्मचारियों के लिये चलाई जाने वाली कैन्टीनों को अनुमन्य होगा जिनकी वार्षिक बिक्री 50 लाख की सीमा के अन्तर्गत है।

4– योजना अपनाने वाले करदाता द्वारा अपने कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष संलग्न प्रारूप 1 में अपना प्रार्थना पत्र दिनांक 30–04–2008 तक देना होगा।

5– प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न प्रारूप 2 में एक शपथ पत्र भी उक्त तिथि तक प्रस्तुत करना होगा।

6– प्रार्थना पत्र समय से उपलब्ध न कराने की स्थिति में विलम्ब क्षमा का अधिकार आयुक्त कर को होगा।

7– यह योजना केवल ऐसे रोड साइड ढाबा/औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में कर्मचारियों के लिये चलाई जाने वाली कैन्टीन सम्बन्धी व्यवसायियों को ही अनुमन्य होगी जिनके व्यवसायिक प्रतिष्ठान वातानुकूलित नहीं हैं और जिनके द्वारा प्रान्त के बाहर से अपने व्यवसाय के सम्बन्ध में कोई आयात नहीं किया जाता है। योजना स्व उत्पादित उत्पाद यथा पका भोजन, नाश्ता आदि के लिए ही अनुमन्य होगी।

8– रोड साइड ढाबा से तात्पर्य ऐसे व्यवसायी से है जिसका प्रतिष्ठान नगर निगम, नगर पालिका परिषद, नगर पंचायत एवं छावनी परिषद की सीमा के अन्तर्गत स्थित न हो।

9– इस योजना को अपनाने वाले व्यवसायियों को पृथक से कर वसूलने का अधिकार नहीं होगा और न ही इन्हें इनपुट टैक्स का लाभ देय होगा।

10– योजना अपनाने वाले करदाता द्वारा अपने ढाबा/औद्योगिक प्रतिष्ठान/कैन्टीन की सकल बिक्री (मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची–1 में वर्णित वस्तुओं की बिक्री को छोड़कर)पर 4 प्रतिशत की दर से देय राशि समाधान शुल्क के रूप में त्रैमासिक आधार पर क्रमशः दिनांक 31–07–2008, दिनांक 31–10–2008, दिनांक 31–01–2009 एवं दिनांक 30–04–2009 तक अपने रूप पत्र सहित कर निर्धारण अधिकारी के कार्यालय में जमा करायी जायेगी।

11– यह योजना केवल एक स्वामित्व के अन्तर्गत आने वाले एक प्रतिष्ठान को ही अनुमन्य होगी।

12– योजना अपनाने वाले करदाताओं के व्यवसायिक प्रतिष्ठान की आवश्यकतानुसार करनिर्धारण अधिकारी के स्तर से जांच की जायेगी और यदि योजना की शर्तो का उल्लघन पाया जाता है तो करनिर्धारण अधिकारी तत्काल इसकी सूचना अपने ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को उपलब्ध करायेंगे और ऐसे करदाता के सम्बन्ध में योजना को चालू रखने अथवा समाप्त करने का अधिकार सम्बन्धित ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्यपालक) को होगा जिनका निर्णय अन्तिम होगा। ज्वाइन्ट कमिश्नर योजना रद्द करने सम्बन्धी आदेश पारित करने से पूर्व प्रभावित करदाता को सुनवाई का अवसर देंगे। योजना से बाहर होने पर सम्बन्धित करदाता के सम्बन्ध में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा सामान्य कर निर्धारण आदि की कार्यवाही की जायेगी।

13– औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में चलाई जा रही कैन्टीन की बिक्री की सत्यता की जांच सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी द्वारा प्रतिष्ठान/कार्यालय से भी की जा सकेगी।

14– ऐसे करदाता जिन्होंने योजना की शर्तों का अनुपालन किया हो और जिनके सम्बन्ध में कोई प्रतिकूल सूचना प्राप्त न हुई हो को पृथक से करनिर्धारण हेतु कार्यालय आने की आवश्यकता न होगी।

(आलोक कुमार जैन)
प्रमुख सचिव, वित्त।

प्रारूप–1

रोड़ साइड ढ़ाबा व्यवसाय में उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा–7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र

सेवा में,

करनिर्धारक प्राधिकारी,
खण्ड..............................
मण्डल / उपमण्डल...

महोदय,

मैं फर्म सर्वश्री...........................जिसका मुख्यालय.............................पर स्थित है तथा जिसे उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 में ....कार्यालय...............द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या....................दिनांक...............से प्रभावी किया गया है तथा जिसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए करनिर्धारक प्राधीकारी खण्ड.............मण्डल / उपमण्डल................के कार्यालय में दिनांक ....को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, का स्वामी / साझीदार ....हूँ। मैंने रोड़ साइड ढ़ाबा व्यवसाय के सम्बन्ध में वर्ष 2008–2009 की अवधि में की गयी बिक्री पर देय कर के विकल्प में धारा 7 की उपधारा (2) में एकमुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है, अथवा पूर्ण रूप से सुन लिया है और भलीभॉति समझ लिया है। उक्त निर्देश की सभी शर्तें मुझे मान्य है। उन्हीं के अधीन मैं यह प्रार्थना पत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं उक्त फर्म द्वारा पके हुए भोजन, नाश्ता आदि की वर्ष 2008–2009 में की गयी बिक्री पर देय कर के स्थान पर उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्ध के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि संलग्न शपथ पत्र/अनुबन्ध के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से एकमुश्त देय समाधान धनराशि को 4 किश्तों में क्रमशः 31–07–2008, 31–10–2008, 31–01–2009 एवं 30–04–2009 तक बिक्री के रूपपत्र सहित जमा करने का निवेदन करता हूँ। कुल एकमुश्त धनराशि को शपथ पत्र/अनुबन्ध में की गयी शर्तों के अनुसार जमा करुंगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि किसी कारण मेरा यह शपथ पत्र/अनुबन्ध वापस या निष्प्रभावी नहीं होगा। दिनांक 01–04–2008 को ढ़ाबा की स्थिति निम्नप्रकार है–

क्र0सं0	विवरण
1.	स्थान की उपलब्धता
2.	कुर्सीयॉ
3.	मेज
4.	फ्रिज
5.	पंखे
6.	कार्यकर्ता

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरा ढ़ाबा वातानुकूलित नहीं है तथा ढ़ाबा चलाने हेतु ....क्षमता का बिजली का कनैक्शन प्राप्त किया है।

दिनांक......................

हस्ताक्षर...........................
पूरा नाम.........................
प्रास्थिति.........................

प्रामाणीकरण

मैं इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म..................................के स्वामी/ साझीदार............................हैं, तथा इस प्रार्थना पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के हस्ताक्षर

पूरा नाम..................................

पूरा पता.................................

प्रारूप–2 :–

समक्ष करनिर्धारक प्राधिकारी,
खण्ड...
मण्डल / उपमण्डल.............

मैं ....पुत्र श्री...............................आयु लगभग............................वर्ष, स्थायी निवासी.......................................(पूरा पता) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि–

1. मैं, फर्म सर्वश्री..............................जिसका मुख्यालय..................(पूरा पता) पर स्थित है का स्थायी / साझीदार...........................(प्रास्थिति) हूँ तथा यह शपथ पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।

2. मेरे फर्म का मुख्यालय, पूरा पता तथा निर्मित वस्तुओं के साथ सह उत्पादों का विवरण निम्नप्रकार है:–

1– मुख्यालय	उत्पाद

3– उक्त ढ़ाबा की बिक्री पर देय करके स्थान पर उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) की धारा–7 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि स्वीकार करने से सम्बन्धित शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तो तथा आयुक्त कर उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये आदेशों एवं प्रतिबन्धों की पूरी–पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है, तथा सभी निर्देश, शर्ते आदेश, प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को मान्य हैं और सदा रहेंगे।

4–यदि मेरे द्वारा फर्म की ओर से उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) की धारा–7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार होता है तब समाधान धनराशि मेरी फर्म द्वारा क्रमशः 31–07–2008, 31–10–2008, 31–01–2009 एवं 30–04–2009 को रूपपत्र सहित कुल बिक्री (मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची–I में वर्णित वस्तुओं की बिक्री को छोड़कर) पर 4 प्रतिशत की दर से जमा की जायेगी।

5– हमारा / मेरा ढ़ाबा नया अथवा...................से उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) की धारा–3 की उपधारा (7) के खण्ड (ड.)(ii) के अन्तर्गत विघटन के कारण पुर्नगठित हुआ है और इसमें दिनांक................से बिक्री प्रारम्भ हुई है / होगी। इस पर देय समाधान राशि मैं आयुक्त कर के निर्देशानुसार जमा करूगा।

6– यदि वित्तीय वर्ष दिनांक 01–04–2008 से 31–03–2009 के लिये मेरा धारा–7 की उपधारा (2) में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र / अनुबन्ध के अनुलग्नक–1 में दी गयी शर्तो का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा आयुक्त कर द्वारा लगायी गयी शर्तो / प्रतिबन्धों में दिये गये आदेशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निबाहने के लिए बाध्य होगी। अनुलग्नक में दिये गये निर्देशों लगाए गए प्रतिबन्धो और निर्धारित शर्तो के अनुपालन न किए जाने की दशा में उत्तराखण्ड शासन तथा वाणिज्य कर विभाग, अनुलग्नक में उल्लिखित कार्यवाहियाँ मेरी फर्म के विरूद्ध कर सकेगा।

7– मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त व्यापार के सम्बन्ध में न तो प्रान्त के बाहर से आयात किया जायेगा और नहीं मेरे द्वारा पृथक से कर वसूला जायेगा।

हस्ताक्षर....................
पूरा पता....................
प्रास्थिति.....................

घोषणा

मैं कि........................उपरोक्त घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र अनुबन्ध के प्रस्तर–1 से 7 में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह भी घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिबन्धों, शर्तो और निर्देशों से मै तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आवद्ध रहेगें।

हस्ताक्षर......................
नाम..............................
प्रास्थिति........................

साक्षी के हस्ताक्षर...............................
नाम एवं पता.......................................
तिथि एवं स्थान...................................

प्रारूप–1

<u>औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही कैन्टीन व्यवसाय में उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा–7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र</u>

सेवा में,

करनिर्धारक प्राधिकारी,

खण्ड.............................

मण्डल/ उपमण्डल...

महोदय,

मैं फर्म सर्वश्री............................जिसका मुख्यालय.............................पर स्थित है तथा जिसे उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 में ....कार्यालय...............द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र संख्या....................दिनांक...............से प्रभावी किया गया है तथा जिसे उक्त अधिनियम के अन्तर्गत पंजीयन प्राप्त करने के लिए करनिर्धारक प्राधिकारी खण्ड.............मण्डल/ उपमण्डल................के कार्यालय में दिनांक ....को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है, का स्वामी/ साझीदार ....हूँ। मैंने औद्योगिक प्रतिष्ठानों/कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए चलाई जा रही कैन्टीन व्यवसाय के सम्बन्ध में वर्ष 2008–2009 की अवधि में की गयी बिक्री पर देय कर के विकल्प में धारा 7 की उपधारा (2) में एकमुश्त राशि स्वीकार करने के सम्बन्ध में उत्तराखण्ड शासन द्वारा जारी निर्देशों को स्वयं पढ़ लिया है, अथवा पूर्ण रूप से सुन लिया है और भलीभॉति समझ लिया है। उक्त निर्देश की सभी शर्ते मुझे मान्य है। उन्हीं के अधीन मैं यह प्रार्थना पत्र उक्त फर्म की ओर से प्रस्तुत कर रहा हूँ।

मैं उक्त फर्म द्वारा पके हुए भोजन, नाश्ता आदि की वर्ष 2008–2009 में की गयी बिक्री पर देय कर के स्थान पर उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2007 की धारा 7 की उपधारा (2) के उपबन्ध के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि संलग्न शपथ पत्र/अनुबन्ध के अनुसार 4 प्रतिशत की दर से एकमुश्त देय समाधान धनराशि को 4 किश्तों में क्रमशः 31–07–2008, 31–10–2008, 31–01–2009 एवं 30–04–2009 तक बिक्री के रूपपत्र सहित जमा करने का निवेदन करता हूँ। कुल एकमुश्त धनराशि को शपथ पत्र/अनुबन्ध में की गयी शर्तों के अनुसार जमा करुंगा। मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि किसी कारण मेरा यह शपथ पत्र/अनुबन्ध वापस या निष्प्रभावी नहीं होगा। दिनांक 01–04–2008 को कैन्टीन की स्थिति निम्नप्रकार है–

क्र0सं0	विवरण
1.	स्थान की उपलब्धता
2.	कुर्सीयॉ
3.	मेज
4.	फ्रिज
5.	पंखे
6.	कार्यकर्ता

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरी कैन्टीन वातानुकूलित नहीं है तथा कैन्टीन चलाने हेतु .....क्षमता का बिजली का कनैक्शन प्राप्त किया है।

दिनांक.....

हस्ताक्षर.....
पूरा नाम.....
प्रास्थिति.....

प्रामाणीकरण

मैं इस प्रार्थना पत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। यह फर्म.....के स्वामी / साझीदार.....हैं, तथा इस प्रार्थना पत्र पर उन्होंने मेरे समक्ष हस्ताक्षर किये हैं।

प्रमाणीकरण करने वाले व्यक्ति के

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पूरा पता.....

प्रारूप–2 :–

समक्ष करनिर्धारक प्राधिकारी,
खण्ड.....
मण्डल / उपमण्डल.....

मैं .....पुत्र श्री.....आयु लगभग.....वर्ष, स्थायी निवासी.....(पूरा पता) शपथ पूर्वक बयान करता हूँ कि–

1. मैं, फर्म सर्वश्री.....जिसका मुख्यालय.....(पूरा पता) पर स्थित है का स्थायी / साझीदार.....(प्रास्थिति) हूँ तथा यह शपथ पत्र अपनी उपरोक्त फर्म की ओर से दे रहा हूँ।

2. मेरे फर्म का मुख्यालय, पूरा पता तथा निर्मित वस्तुओं के साथ सह उत्पादों का विवरण निम्नप्रकार है:–

1– मुख्यालय उत्पाद

3– उक्त कैन्टीन की बिक्री पर देय करके स्थान पर उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) की धारा–7 की उपधारा (2) के उपबन्धों के अधीन समाधान हेतु एकमुश्त धनराशि स्वीकार करने से सम्बन्धित शासन के निर्देशों एवं उसमें अंकित सभी शर्तो तथा आयुक्त कर उत्तराखण्ड द्वारा दिये गये आदेशों एवं प्रतिबन्धों की पूरी–पूरी एवं सही जानकारी मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को हो चुकी है, तथा सभी निर्देश, शर्ते आदेश, प्रतिबन्ध मुझे तथा मेरे फर्म में हितबद्ध अन्य व्यक्तियों को मान्य हैं और सदा रहेंगे।

4–यदि मेरे द्वारा फर्म की ओर से उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) की धारा–7 की उपधारा (2) के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार होता है तब समाधान धनराशि मेरी फर्म द्वारा क्रमशः 31–07–2008, 31–10–2008, 31–01–2009 एवं 30–04–2009 को रूपपत्र सहित कुल बिक्री (मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की अनुसूची–I में वर्णित वस्तुओं की बिक्री को छोड़कर) पर 4 प्रतिशत की दर से जमा की जायेगी।

5– हमारा / मेरा कैन्टीन नया अथवा.....से उत्तराखण्ड (उत्तरांचल मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005) की धारा–3 की उपधारा (7) के खण्ड (ड.)(ii) के अन्तर्गत विघटन के कारण पुर्नगठित हुआ है और इसमें दिनांक.....से बिक्री प्रारम्भ हुई है / होगी। इस पर देय समाधान राशि मैं आयुक्त कर के निर्देशानुसार जमा करूगा।

6– यदि वित्तीय वर्ष दिनांक 01–04–2008 से 31–03–2009 के लिये मेरा धारा–7 की उपधारा (2) में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तब मेरी फर्म इस शपथ पत्र / अनुबन्ध के अनुलग्नक–1 में दी गयी शर्तो का अनुपालन करने, शासन द्वारा दिये गये निर्देशों तथा आयुक्त कर द्वारा लगायी गयी शर्तो / प्रतिबन्धों में दिये गये आदेशों का पालन करने तथा अपने दायित्वों को निबाहने के लिए बाध्य होगी। अनुलग्नक में दिये गये निर्देशों, लगाए गए प्रतिबन्धों और निर्धारित

शर्तो के अनुपालन न किए जाने की दशा में उत्तराखण्ड शासन तथा वाणिज्य कर विभाग, अनुलग्नक में उल्लिखित कार्यवाहियॉ मेरी फर्म के विरूद्ध कर सकेगा।

7– मैं यह भी घोषणा करता हूँ कि उक्त व्यापार के सम्बन्ध में न तो प्रान्त के बाहर से आयात किया जायेगा और नहीं मेरे द्वारा पृथक से कर वसूला जायेगा।

हस्ताक्षर.....
पूरा पता.....
प्रास्थिति.....

घोषणा

मैं कि.....उपरोक्त घोषणा करता हूँ कि शपथ पत्र अनुबन्ध के प्रस्तर–1 से 7 में अंकित विवरण मेरी जानकारी और विश्वास में पूर्ण तथा सत्य हैं और कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है। यह भी घोषणा करता हूँ कि इस शपथ पत्र/ अनुबन्ध तथा इसके संलग्नक में निर्धारित प्रतिवन्धों, शर्तो और निर्देशों से मै तथा मेरी फर्म में हितबद्ध अन्य सभी व्यक्ति आबद्ध रहेगें।

हस्ताक्षर.....
नाम.....
प्रास्थिति.....

साक्षी के हस्ताक्षर.....
नाम एवं पता.....
तिथि एवं स्थान.....